भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4050

बुधवार, 18 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीमा पार डाटा प्रवाह पर प्रतिबंध

4050. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सीमा पार डाटा प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानूनी और तकनीकी आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए ई-कॉमर्स और नई औद्योगिक नीतियों पर काम कर रही है और संवेदनशील डाटा के स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और इसे विदेशों में संग्रहीत करने के संबंध में कतिपय शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीतियों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा उक्त नीतियों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कई विदेशी ई-कॉमर्स फर्मों ने डाटा से संबंधित प्रारूप नीति में कुछ बिंदुओं पर चिंता जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय ई-कामर्स नीति और नई औद्योगिक नीति बनाने की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।

मसौदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास के लिए एक सुविधाजनक विनियामक वातावरण बनाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करते और रोजगार सृजन को सुगम बनाते हुए घरेलू उद्यमियों को सशक्त बनाना और मेक इन इंडिया को बढावा देना है।

प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति भारत में विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019, लागू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा के विशिष्ट प्रवाह और उपयोग को निर्धारित करने, संवेदनशील डाटा को परिभाषित करने की मांग की गई है और इसका उद्देश्य संगठन के लिए ढांचा तैयार करना और डाटा प्रोसेसिंग में तकनीकी उपाय, सीमा पार हस्तांतरण और निजी डेटा को प्रोसेस करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड निर्धारित करना है।

(ग) से (ङ): 23 फरवरी, 2019 को प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कामर्स नीति का पहला मसौदा टिप्पणियों/सुझावों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। 120 से अधिक हितधारकों (भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां, उद्योग संघों, विचारक समूह, विदेशी सरकारों) से टिप्पणियां प्राप्त हुईं हैं।

इस क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और मसौदा नीति में शामिल प्रावधानों पर विचार-विर्मश करने के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों, स्टार्टअप्स, उद्योग संघों, विचारक समूह, शिक्षाविदों आदि के साथ-साथ डेटा प्रदाता सेंटर, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, निर्यात संवर्धन परिषद सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सचिव, डीपीआईआईटी के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की गई हैं।

चूंकि ई-कामर्स एक नया मामला है, इसलिए पिछले कुछ महीनों में विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति को इस प्रकार तैयार किया जाए कि सभी हितधारकों का हित बना रहे। अत: इसे जारी करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

नई औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय मंत्रालय/ विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यकारी समूह गठित किया गया है। इस कार्यकारी समूह की अध्यक्षता सचिव, डीपीआईआईटी करते हैं। सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक 24 अक्टूवर, 2019 को आयोजित की गई थी। नई औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा है।

*****